

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/जलपान व्यय/2013/२७९

दिनांक:- 14/11/13


## कार्यालय आदेश

मण्डल अधिकारियों को आने वाले आगन्तुको के जलपान हेतु प्रतिमाह जलपान व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

S.No.	Designation	Amount
1.	Chairman	Actual
2.	Housing Commissioner	Actual
3.	Chief Engineer	1600/-
4.	Secretary / FA & CAO / Director Law / Additional Chief Engineer / Additional Chief Town Planner	1600/-
5.	Chief Estate Manager / Senior Town Planner / Deputy Housing Commissioner	1200/-
6.	Joint Director (System Analyst)	1200/-
7.	Deputy Secretary / Senior Personnel Manager / Senior Accounts Officer /Resident Engineer / Private Secretary / OSD (Land) / Deputy Town Planner	600/-
8.	Assistant Legal Remembrancer / Estate Manager / Personnel Manager / Assistant Secretary / Accounts Officer/Assistant Director(Public Relation) / Land Acquisition Officer / Tehsildar / Public Relation Officer	400/-


जलपान व्यय की सीमा निर्धारण के संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त कर यह आदेश जारी किये जा रहे हैं। उक्त आदेश 1 अक्टूबर 2013 से लागू होंगे।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(दिनेश कुमार पंवार)  
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता- मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त...../आवासीय अभियन्ता, खण्ड.....।
6. संबंधित अधिकारी.....
7. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
सचिव